छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 26.04.2014 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1.	**प्रो. जे.वी. वैशम्पायन,** *कुलपति,* सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	**प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा,** पूर्व कुलपति, बी–113, निराला नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	**श्री आई०सी० द्विवेदी,** (से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैक के पास, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
4.	**डॉ० नागेश शुक्ला,** अधिष्ठाता, विधि संकाय, दयानन्द कॉलेज ऑफ लॉ, कानपुर	सदस्य
5.	**प्रो० मुकेश रंगा,** आचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
6.	**प्रो० पी०के० कुश,** आचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
7.	**डॉ० संजय स्वर्णकार,** उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
8.	**डॉ० सन्दीप कुमार सिंह,** उपाचार्य, प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग	सदस्य
9.	डा० **सुधान्शु पाण्डिया,** उपाचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
10.	**डॉ० नीरज कुमार सिंह,** उपाचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
11.	**डॉ० मोहकम सिंह,** प्राचार्य, के०के० कालेज, इटावा	सदस्य
12.	**डॉ० रेखा शर्मा,** प्राचार्या, डी०ए०वी० कॉलेज, कानपुर	सदस्य
13.	**डॉ० गिरिजेश लाल श्रीवास्तव,** प्राचार्य, अर्मापुर पी०जी० कालेज, कानपुर	सदस्य
14.	**डॉ० यू०एस० शुक्ला,** गणित विभाग, नेहरू पी.जी. कॉलेज, छिबरामऊ, कन्नौज	सदस्य
15.	**श्री धर्मेन्द्र वर्मा,** वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	
16.	**श्री सय्यद वकार हुसैन,** कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने कार्यकाल समाप्त कर चुके माननीय सदस्यों डॉ. मुनेश कुमार, डॉ. ए. साराभाई तथा डॉ.(श्रीमती) उमा सक्सेना को कार्यपरिषद में उनके योगदान के लिये धन्यवाद् ज्ञापित किया तथा उनके स्थान पर नव नियुक्त सदस्यों क्रमशः डॉ. नीरज कुमार सिंह, डॉ. यू.एस. शुक्ला तथा श्री एस. कुमार का स्वागत किया। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, प्रो. जे०वी० वैशम्पायन, कुलपति का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०–1 **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 तथा आपात बैठक दिनांक 17.01.2014 एवं 18.02.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

माननीय सदस्य प्रो. पी.के. कुश ने इंगित किया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 के **मद संख्या–3 (पृष्ठ–4)** के अन्तर्गत परिसर में संचालित दो पाठ्यक्रमों की परीक्षा ऑन–लाइन कराये जाने सम्बन्धी निर्णय में टंकण–त्रुटि **'परीक्षा'** के स्थान पर **'मूल्यांकन'** किये जाने का प्रस्ताव किया। परिषद ने सर्वसम्मति से उक्त त्रुटि तदनुसार सुधार कर पढ़े जाने पर सहमति प्रदान की। माननीय सदस्य श्री आई.सी. द्विवेदी ने कार्य परिषद दिनांक 03.12.2013 की कार्यवाही की **मद संख्या–1 (पृष्ठ–3)** के सम्बन्ध में लिये सम्बन्धित समिति द्वारा लिए गये निर्णय पर यह आपत्ति की कि कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.02.2013 के कार्यवृत्त में अन्य विषय सम्बन्धी **प्रस्तर–'क'** पर जो निर्णय लिया गया था उसके दूसरे भाग पर लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हे कोई जानकारी नहीं दी गयी हैं। सम्बन्धित समिति के सदस्य डॉ० सुधांशु

पाण्डया ने दूरभाष पर दी गई सूचना की पुष्टि लिखित रूप में सूचित करने का आश्वासन दिया।

उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश के साथ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 तथा आपात बैठक दिनांक 17.01.2014 एवं 18.02.2014 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–2 **राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई–2176/जी.एस. दिनांक 10.03.2014 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत नये कुलपति के नाम की संस्तुति हेतु खोज समिति का गठन किए जाने के लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा सदस्य नामित किये जाने पर विचार।**

परिषद के माननीय सदस्यों की ओर से खोज समिति हेतु कार्यपरिषद का सदस्य नामित किये जाने हेतु प्रस्तावित विभिन्न नामों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री जी. पटनायक को नामित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।

मद सं०–3 **परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 10.04.2014 की मद संख्या–04 पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या–श (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में लिए गये निर्णय के अनुसार ऐसे महाविद्यालयों, जिनकी सम्बद्धता की पूर्वानुमति शासन से माह नवम्बर, 2013 में प्राप्त हुई है, के छात्रों की परीक्षा अगस्त, 2014 के स्थान पर दिनाक 21 मई, 2014 से कराये जाने पर विचार।**

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–4 **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2014, 06.02.2014, 15.02.2014 एवं 10.04.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2014, 06.02.2014, 15.02.2014 एवं 10.04.2014 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–5 **राज्यपाल सचिवालय द्वारा पत्रांक ई–2432/जी.एस. दिनांक 10.04.2012 एवं पत्रांक–ई–4398/जी. एस. दिनांक 13.06.2012 के माध्यम से श्री मनीष त्रिपाठी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के महामहिम को सम्बोधित दिनांक रहित पत्रांक पर गठित जांच समिति की आख्या पर किसी न्यायाधीश से जांच कराये जाने पर विचार।**

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री मनीष त्रिपाठी के नाम से प्राप्त उपरोक्त सन्दर्भित दोनों शिकायती पत्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्रो. एस.सी. अग्रवाल एवं प्रो. पी.के. कुश की द्विसदस्यीय जांच समिति को 'Fact Finding Committee' के रूप में परिवर्तित करके उससे एक तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की जाय।

मद सं०–6 **राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–ई–9694/जी.एस. दिनांक 14.12.2010 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारकों के संदर्भ में श्री शशांक शेखर यादव द्वारा श्री अवध नारायण यादव एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, इटावा के शिकायती पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ता श्री दिग्विजय शर्मा, डिपार्टमेंट आफ फिजियाथेरेपी की जांच आख्या पर विचार।**

परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ता श्री दिगविजय शर्मा, डिपार्टमेन्ट ऑफ फिजियोथेरैपी द्वारा

विश्वविद्यालय में रहते हुये विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य विश्वविद्यालय से एम.पी.टी. पाठ्यक्रम करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद की अप्रसन्नता से श्री दिगविजय शर्मा को अवगत कराने हेतु तथा भविष्य में ऐसा कोई आचरण न करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। तदनुसार परिषद ने प्रकरण को निक्षेपित किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

मद सं०–7 **दून आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून के विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों के सम्बन्ध में गठित जांच समिति की आख्या पर विचार।**

कुलपति जी द्वारा प्रस्तुत जॉच समिति की आख्या का अध्ययन करने हेतु परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से परिषद के माननीय सदस्य प्रो. एम.एस. सोढ़ा एवं श्री आई.सी. द्विवेदी को अधिकृत करते हुये यह अनुरोध किया कि जॉच आख्या के अध्ययनोपरान्त माननीय दोनों सदस्यगण आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति जी को परामर्श प्रदान करेंगे।

मद सं०–8 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या–07 पर लिए गये निर्णयानुसार डा0 सुरेश चन्द्र द्विवेदी की पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अन्तर्गत, पदोन्नति की कार्यवाही (संदर्भ–याचिका संख्या–39032/2013 डा0 सुरेश चन्द्र द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तावित विकल्पों पर विचार।**

माननीय सदस्य प्रो0 सोढ़ा ने परिषद को अवगत कराया कि पूर्व में यह प्रकरण उनके समक्ष आया था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि कैरियर एडवांसमेन्ट के सम्बन्ध में 1996 का शासनादेश अवलोकित कर लिया जाय। यदि उसमें कैरियर एडवांसमेन्ट हेतु वॉछित अर्हता के लिये केवल द्वितीय श्रेणी लिखा हो तो डॉ. सुरेश चन्द्र द्विवेदी को पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान कर दी जाय अन्यथा यदि अर्हता हेतु 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक का सन्दर्भ हो तो कैरियर एडवांसमेन्ट न दिया जाय। परिषद ने सर्वसम्मति से प्रो. सोढ़ा के कथन पर स्वीकृति प्रदान की।

मद सं०–9 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या–08 पर लिए गये निर्णयानुसार श्री राजेश मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक के सेवानिवृत्ति के उपरान्त पदोन्नति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की टिप्पणी/आख्या के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब इस प्रकरण में कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।

मद सं०–10 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या–09 पर लिए गये निर्णयानुसार प्रो0 ए0एल0 जाटव, पूर्व आचार्य के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की टिप्पणी/आख्या के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद ने प्रो. ए.एल. जाटव, पूर्व आचार्य के पूरे प्रकरण से अवगत होते हुये प्रो. जाटव द्वारा वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विलुप्त (drop) किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं०–11 **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या 'र' (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) पर लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक आख्या पर विचार।**

परिषद ने विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर की गयी अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभाग की तथ्यात्मक आख्या पर विचार करके सर्वसम्मति से सम्बन्धित उक्त नियुक्तियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिशानिर्देश/अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया।

मद सं०–12 **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या 'ष' (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) पर लिये गये निर्णयानुसार अनानुमोदित पदों पर कार्यरत चालकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक आख्या पर विचार।**

परिषद ने विश्वविद्यालय में अनानुमोदित पदों पर कार्यरत चालकों को ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने सम्बन्धी विभागीय तथ्यात्मक आख्या पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण अनानुमोदित पदों से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

मद सं०–13 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.02.2013 की मद संख्या–4 पर लिए गये निर्णयानुसार 'I.B.M.-International Journnal of Business Management' को प्रकाशित किए जाने हेतु पुनः परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत बजट एवं ISSN पंजीकरण संख्या (ISSN 2348-0629 IBM-International Journal of Business Management) सम्बन्धी पत्रांक–NSL/ISSN/INF/2014/60 दिनांक 08.01.2014 पर विचार।**

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त पुनर्रीक्षित बजट एवं पंजीकरण संख्या का संज्ञान ग्रहण करते हुये सर्वसम्मति से 'I.B.M.-International Journnal of Business Management' को प्रकाशित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं०–14 **कार्यालय आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प/835/2013 दिनांक 23.08.2013 के अनुपालन में गठित 'शिकायत निवारण समिति' द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन कराये जाने की समय–सीमा निर्धारित किये जाने एवं अवलोकनोपरान्त प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तैयार किए गये दिशा–निर्देश (जो कुलपति द्वारा अनुमोदित है) को कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त लागू किए जाने पर विचार।**

परिषद ने शिकायत निवारण समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसाओं को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु दिशानिर्देश के रूप में स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की।

मद सं०–15 **विश्वविद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक जिनकी मूल नियुक्ति स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए थी, उनकी नियुक्ति का नवीनीकरण आगामी तीन वर्ष के लिए किए जाने पर विचार।**

परिषद ने सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया कि स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों का सेवा विस्तरण उनके कार्य की समीक्षा (Review) करने के उपरान्त ही किया जाना चाहिये। परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ

किये जाने की स्वीकृति प्रदान की कि उक्त शिक्षकों के कार्यों के सतत् आंकलन हेतु उचित विधि/प्रकिया विकसित करके तीन वर्ष का विस्तरण Appraisal के उपरान्त किया जाय।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अ **विश्वविद्यालय परिसर में संचालित यू.आई.ई.टी. में पूर्व में नियुक्त श्री विनीत कटियार द्वारा दिनांक 13.05.2008 से लिये गये अवकाश की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी वापस न आने के सम्बन्ध में अब सेवा में लिये जाने सम्बन्धी आवेदन पर विचार।**

परिषद ने सम्पूर्ण प्रकरण का संज्ञान ग्रहण किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री विनीत कटियार के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

ब **विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अन्तर्गत संचालित 'लैंग्वेज़ लैब' में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये जाने पर विचार**

परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने पर सहमति व्यक्त की ।

अन्त में माननीय कुलपति जी द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति/अध्यक्ष